

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम्स के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशन, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशन से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

| लाइन/उपकरण | न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है | न्यूनतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है |
|---|---|--|
| 650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें | उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर | निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर |
| हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11,000 वोल्ट तक या सहित हो | उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर | निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर |
| हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो | उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर | निकटतम पॉइंट से 2 मीटर |
| एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर | 3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर) | 2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर) |

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

बीआरपीएल ने दिल्ली को 6500 से अधिक रूफटॉप सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन से रोशन किया!

अब सौर क्रांति यहां है, और बीएसईएस इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है! दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में 6500 से ज्यादा रूफटॉप सेलर नेट मीटरिंग इंस्टॉलेशन किए गए हैं, जो 150 मेगावॉट से अधिक स्वच्छ, व अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं।

आइये, हम भविष्य को आकार देने में साथ चलें और रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। सौर ऊर्जा से सजी हर छत की कहानी है—स्वच्छ हवा, कम बिजली बिल और हमारे समुदायों के लिए एक उज्जवल व अधिक टिकाऊ भविष्य।

स्थिरता की दिशा में पहला कदम उठाएं। मिलकर, दिल्ली को और अधिक चमकदार बनाएं—सौर ऊर्जा से।

रिवच करना है आसान



मिस कॉल करें
90525 52509



लॉग ऑन करें
<https://rts.bsesdelhi.com>



हमें कॉल करें
19123 (Ext. 8)



क्यूआर कोड
स्कैन करें

सुरक्षित तरीके से भुगतान कैसे करें

हमेशा अलर्ट रहें और अपने बिजली बिल का भुगतान बोनाफाइड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें

कंज्यूमर अलर्ट



| | बीआरपीएल | बीवाईपीएल |
|-----------------|--|--|
| बीएसईएस वॉट्सऐप | बस "Hi" लिखें और उसे 8800919123 पर भेज दें | बस "Hi" लिखें और उसे 8745999808 पर भेज दें |
| मोबाइल ऐप* | बीआरपीएल पावर ऐप | बीवाईपीएल कनेक्ट |
| वेबसाइट* | www.bsesdelhi.com | |
| ई-वॉलेट्स | पेटीएम/फोनपे/गूगलपे/अमेज़ॉन पे | |
| क्यूआर कोड | बिल पर छपा | |
| पे नाउ ऑप्शन | बिल पर छपा | |



BSES की ओर से कंज्यूमर अलर्ट

ताकि बिजली बिल के भुगतान संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके



वॉट्सऐप सपोर्ट 8800919123 | सुविधाजनक | तुरंत | 24 x 7



8800919123 पर हमें Hi कहें और हमारी निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठाएं

बिल देखें व भुगतान करें
बिल विवरण
सेलफ मीटर रीडिंग
बिजली गुल की शिकायत

प्रीपेड मीटर बैलेंस तथा
रीचार्ज
बिजली दरें
और भी बहुत कुछ



टॉल फ्री 24x7
19123

अपने फीडबैक भेजें: कारपोरेट कम्युनिकेशन, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

CIN No.: U40109DL2001PLC111527, GSTIN.: 07AAGCS3187H223 | 19123 | www.bsesdelhi.com | www.facebook.com/bsesdelhi | <https://twitter.com/BSESDelhi>

संवाद में एडवर्टाइज के लिए brpl.bdg@relianceada.com पर ईमेल करें | बीआरपीएल राजधानी पावर लिमिटेड संवाद में प्रकाशित एडवर्टाइजमेंट के लिए कानूनी रूप से जिम्मेवार नहीं है।